

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 4094
उत्तर देने की तारीख: 17.03.2026

जम्मू और कश्मीर में आरक्षण

4094. श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान में जम्मू और कश्मीर सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और श्रेणी-वार भर्ती और प्रवेश में लागू आरक्षण का ब्यौरा क्या है;
- (ख) एससी-1, एससी-2 और एसटी-1, एसटी-2 जैसी उप-श्रेणियों के अस्तित्व का औचित्य क्या है और इस प्रकार के वर्गीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड क्या हैं;
- (ग) क्या जम्मू और कश्मीर में उक्त उप-श्रेणियों को उचित ठहराने के लिए कोई व्यापक सामाजिक-आर्थिक या जाति जनगणना-आधारित अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जम्मू और कश्मीर की कुल जनसंख्या का लगभग पैंसठ प्रतिशत सामान्य श्रेणी होने का अनुमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार का सभी वर्गों में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उक्त संघ राज्यक्षेत्र में आरक्षण नीतियों को युक्तिसंगत बनाने या उनकी समय-समय पर समीक्षा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भर्ती और प्रवेश में वर्तमान में लागू आरक्षण का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। हालांकि, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर (जम्मू-कश्मीर) में वर्तमान में लागू आरक्षण का विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

(ख) और (ग): संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर ने न्यायमूर्ति जी.डी. शर्मा की अध्यक्षता में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग की सिफारिशों के आधार पर, संसद ने संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 को अधिनियमित किया। अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप-वर्गीकरण

मौजूदा और नई जोड़ी गई जनजातियों, दोनों के लिए आरक्षण लाभों की संतुलित और समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था।

(घ): 2024 के सांविधिक आदेश 176, दिनांक 15.03.2024 के माध्यम से जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियम, 2004 में संशोधन की अधिसूचना के बाद से संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में कोई नई जनगणना नहीं की गई है।

(ङ): जम्मू-कश्मीर सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में आरक्षण को युक्तिसंगत बनाने के लिए समीक्षा हेतु एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रिपरिषद को सौंप दी है।

जम्मू और कश्मीर में आरक्षण के संबंध में श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं. 4094 जिसका उत्तर दिनांक 17.03.2026 को दिया जाना, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में भर्ती और प्रवेश में वर्तमान में लागू आरक्षण का विवरण:

सीधी भर्ती में आरक्षण

- (क) अनुसूचित जाति = 8%
- (ख) अनुसूचित जनजाति = 20%
- (ग) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग
 - (i) अन्य पिछड़ा वर्ग = 8%
 - (ii) एएलसी/आईबी = 4%
 - (iii) आरबीए = 10%
- (घ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग = 10%
- (ङ) भूतपूर्व सैनिक = 6%
- (च) दिव्यांग व्यक्ति = 4% ('ङ' और 'च' क्षैतिज आरक्षण हैं)

व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण

- (i) अनुसूचित जाति = 8%
 - (ii) अनुसूचित जनजाति = 20%
 - (iii) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग
 - (क) अन्य पिछड़ा वर्ग = 8%
 - (ख) एएलसी/आईबी = 4%
 - (ग) आरबीए = 10%
 - (iv) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग = 10%
 - (v) दिव्यांग व्यक्ति = 4%
 - (क) रक्षा कार्मिकों के बच्चे = 3%
 - (ख) अर्ध-सैनिक बलों और संघ राज्य क्षेत्र पुलिस कार्मिकों के बच्चे = 1%
 - (ग) खेलों में उत्कृष्ट दक्षता रखने वाले उम्मीदवार = 2%
- ('V' और इसके भाग 'क', 'ख', और 'ग' क्षैतिज आरक्षण हैं)

नोट:

ओबीसी - अन्य पिछड़ा वर्ग

एएलसी/आईबी - वास्तविक नियंत्रण रेखा/अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपवर्ती क्षेत्रों के निवासी

आरबीए - पिछड़े क्षेत्रों के निवासी
